जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

उपभोक्ता – अधिकार पत्र

उपभोक्ता अधिकार पत्र, डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के/की मानक, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा सेवा परिदान की समयावधि, शिकायत निवारण क्रियाविधि, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के प्रति **डिस्कॉम की वचनबद्धता को निरूपित करता** है।

उद्देश्य –

(1) सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना,

(2) उपभोक्ता को, डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के प्रकार के बारे में सूचित करना।

(3) सेवा प्रदान करने के मानक को निर्धारित करना।

(4) उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों तथा सेवा की गुणवत्ता, जो वे डिस्कॉम से अपेक्षा करते हैं, के बारे में चेतना का सृजन कर सुरक्षा देने में समर्थ करना।

उपभोक्ता का अधिकार पत्र अपने आप में किसी विधिक अधिकार का सृजन नहीं करता है, बल्कि सामान्य रूप में विद्यमान अधिकारों को प्रवर्तित करता है।

क) नया कनेक्शन प्राप्त करने/भार/नाम/टैरिफ श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया

1. नये कनेक्शन, भार/मांग में वृद्धि/कमी, कनेक्शन का स्थान परिवर्तन आदि के लिए सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय से आवेदन प्रपत्र तथा अनुबन्ध प्रपत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है या उन्हें जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com से डाउन लोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराये जाने वाले शुल्कों की विद्यमान अनुसूची अनुलग्नक 'ब' पर संलग्न है।

2. आवेदन की स्थिति की जानकारी तथा उसके निस्तारित न किये जाने का

कारण या अस्वीकरण, व्यक्तिगत सुनवाई, अपील तथा कमियों को दूर करने की सूचना सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

3. नये कनेक्शन लिये जाने/भार/मांग में परिवर्तन, जैसी भी स्थिति है, के लिए अनुबन्ध पत्र की, निष्पादित किये जाने के बाद प्रतिलिपि संबंधित उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

4. आपूर्ति लिये जाने/नये कनेक्शन, जैसी भी स्थिति है, के लिए आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अनुसूची या राविविआ द्वारा अनुमोदनानुसार दिये जाने वाले प्रभारों/शुल्कों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युतापूर्ति के निबन्धन व शर्तें – 2004 में यथा निर्धारित सही प्रक्रिया की अनुपालना करते हुये राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित कार्यदक्षता के मापदण्ड (Standards of performance) विनियम, 2003 में निर्धारित समयावधि में, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों के मापक्रम के अनुसार शुल्क एवं प्रभारों का भुगतान कर आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है।

6. जोधपुर डिस्कॉम को भुगतान किये गये शुल्क एवं प्रभारों की रसीद प्राप्त की जा सकती है।

7. जिस व्यक्ति ने नये कनेक्शन/भार वृद्धि के लिए आवेदन किया है तथा औपचारिकतायें पूर्ण कर दी हैं तथा ऐसे नये कनेक्शन/भार में वृद्धि के लिए प्रभारों का भुगतान कर दिया हे, उसे यदि निगम द्वारा विहित समय में आपूर्ति नहीं दी जाती है, तो वह निगम के शिकायत प्रकोष्ठ न्यू पावर हाउस बासनी, जोधपुर के यहां शिकायत दर्ज करवा सकता है।

ख) विपत्रण (Billing)

1. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित आूपर्ति कोड में यथानिर्धारित विस्तृत विशिष्टियों (भुगतान हेतु नियत तिथि सहित) युक्त, पाक्षिक/मासिक/द्धि–मासिक (जैसी भी स्थिति है) विपत्र प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। मूल विपत्र के खो जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करवाये

जाने पर विपत्र की अनुलिपि, विपत्र की राशि (भुगतान हेतु नियत तिथि सहित) जानने के लिए मांग, इस प्रयोजनार्थ डिस्कॉम के सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय से की जा सकती है।

2. विपत्र के गणना के आधार की विस्तृत जानकारी सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ग) विपत्र (त्रों) का भुगतान

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को छोड़कर, जिसके माामलें में अनुग्रह अवधि (Grace Period) 19 दिवस होगी, डिस्कॉम, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत के विपत्रों का नकद या भुगतान आदेश/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों पर, भुगतान हेतु 15 दिवस की अनुग्रह अवधि देता है। यदि विपत्र की संदेय राशि 20,000/– (बीस हजार रू.) से अधिक है, तो भुगतान आयकर अधिनियम, 1956 की धारा 40 (ए) (3) की अपेक्षानुसार केवल रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या भुगतान आदेश या चैक से ही किया जाना होगा।

घ) प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit)

1. उपभोक्ता को, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति के निबन्धन व शर्तें – 2004 में यथानिर्धारित प्रतिभूति जमा करानी होगी।

2. उपभोक्ताओं को प्रतिभूति निक्षेप पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युतापूर्ति के निबन्धन एवं शर्तें 2004, में यथा निर्धारित ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है।

ड.) विद्युतापूर्ति का विच्छेदन (Disconnection)

किसी भी अधिष्ठापना (Installation) की विद्युत आपूर्ति निम्नलिखित में से किन्ही भी कारणो से विच्छेदित की जा सकती है।

1. विपत्र (त्रों) का भुगतान न करना

यदि विपत्र में भुगतान हेतु इंगित अन्तिम तिथि तक विपत्र की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो पूरे 15 दिवस का नोटिस दिये जाने और नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी उपभोक्ता की विद्युतापूर्ति विच्छेदित की जायेगी।

2. विद्युत का अनाधिकृत उपयोग तथा अन्य अपराध

डिस्कॉम को, किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनाधिकृत उपयोग करने तथा अन्य अपराध किये जाने पर, उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 127 तथा 135 से 151 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

3. **<u>विद्युत का प्रतिकूल उपयोग</u>**

यदि कोई उपभोक्ता किसी ऐसे उपकरण का उपयोग करता हुआ पाया जाता है, जिससे आस–पास के अन्य उपभोक्ता को विद्युतापूर्ति प्रभावित होती है, तो डिस्कॉम द्वारा उसकी विद्युतापूर्ति बिना किसी नोटिस के विच्छेदित की जा सकेगी। किसी भी अधिष्ठापना का विच्छेदन ''विद्युतापूर्ति के निबन्धन एवं शर्तें – 2004'' से प्रशासित होगा।

च) **<u>पुनर्संयोजन (Reconnection)</u>**

विच्छेदन के बाद यदि कोई उपभोक्ता पुनर्संयोजन चाहता है, तो उसे विहित प्रपत्र, जो डिस्कॉम की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है, में आवेदन करना होगा। पुनर्संयोजन, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय– समय पर संशोधित ''विद्युतापूर्ति के निबन्धन एवं शर्तें – 2004'' से प्रशासित होगा।

छ) **<u>सम्पत्ति की देयताओं (Property Dues) के बारे में सावधानी</u>**

क्या आप सम्पत्ति का क्रय या विक्रय कर रहे है? क्या आप किराये के अधिवास (सरकारी क्वार्टरों/फ्लेटों/बंगलों सहित) को ग्रहण कर रहे हैं/छोड़ रहे हैं ?तो

कृपया भविष्य में ''बकाया देयताओ'' की समस्या से बचने के लिए निगम से ''अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)'' प्राप्त करने का ध्यान रखें। अन्तिम विपत्र का भुगतान कर दिया जाना सम्पत्ति पर अन्य किसी प्रकार की देयता न होने का ठोस सबूत नहीं है। सम्पत्ति की ओर अन्य देयतायें हो सकती हैं, जिन्हे व्यापक रूप से निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है –

विद्युत चोरी/विद्युत का बेईमानी से उपयोग/अनाचार।

मीटर के दोषपूर्ण (खराब) होने के कारण अंकेक्षण (Audit) द्वारा बाद में औसत आधार पर वसूली।

प्रोविजनल बिल का अन्तिम बिल में समायोजन करना।

विवाद के निपटारे तक देयता को आस्थगित (Differed) के रूप में रखना।

परिसर पर निर्माण/जीर्णोद्धार/समारोह आदि हेतुं लिये गये अस्थाई कनेक्शन की बकाया राशि।

परिसर के कब्जे आदि के परिवर्तन के समय दस्तंदाजी (Tampered) किये गये, जले हुये या खराब पाये गये मीटर की लागत।

ज) **कार्यदक्षता के मापदण्ड (Standards of Performance)**

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यदक्षता के मापदण्ड) विनियम, 2003 के अन्तर्गत डिस्कॉमों की कार्यदक्षता के निश्चित मापदण्ड निर्धारित है। उपभोक्ताओं को इस प्रकार के मापदण्डो पर सेवा प्राप्त करने के अधिकार है। विभिन्न गतिविधियों/शिकायतों के निवारण हेतु अधिकतम समय सीमा का सारांश अनुलग्न ''अ'' पर संलग्न है।

झ) **शिकायत संचालन एवं शिकायत निवारण (Complaint Handling & Grievance Redressal)**

उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों का निवारण, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (शिकायतों के निवारण हेतु दिशा निर्देश) विनियम, 2008 के अन्तर्गत करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। इन विनियमों के अन्तर्गत में ''शिकायत निवारण सह समझौता मंच'' का गठन, आर्थिक के अतिरिक्त गैर– आर्थिक प्रकृति की शिकायतों के निवारण हेतु किया गया है।

(अ) **गैर– आर्थिक प्रकृति की शिकायतें** (विद्युतापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें)

क्र.स.	मंच का नाम	शिकायतें	आवेदन शुल्क

1.	खण्ड मंच	एलटी आपूर्ति सम्बन्धी	कोई शुल्क नहीं
2.	वृत्त जिला मंच	एचटी आपूर्ति सम्बन्धी	कोई शुल्क नहीं
3.	निगम मंच	ईएचटी आपूर्ति सम्बन्धी	कोई शुल्क नहीं

(ब) **आर्थिक प्रकृति की शिकायतः** आर्थिक प्रकृति की शिकायत के लिए उपभोक्ता को निम्नानुसार विस्तृत पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा :

मंच	**आर्थिक सीमा**	**पंजीकरण शुल्क**
उपखण्डीय मंच	10,000.00 रू.	50.00 रू.
खण्डीय मंच	25,000.00 रू.	100.00 रू.
वृत्त मंच	3,00,000.00 रू.	250.00 रू.
निगम मंच	3.00 लाख रू. से अधिक	1000.00 रू.

सामान्यतः शिकायत का निस्तारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा निर्धारित समयावधि में कर दिया जावेगा। यदि उपभोक्ता किये गये निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विवादों का लोकपाल द्वारा निपटारा) विनियम, 2010 के अनुसार, आयोग द्वारा नियुक्त ''लोकपाल'' के यहां अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता/सकती है।

ञ) <u>टैरिफ अनुसूची :</u>

उपभोक्ता को निर्धारित राशि का भुगतान कर टैरिफ अनुसूची की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। टैरिफ अनुसूची, कतिपय उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विद्युत विपत्र के पीछे भी मुद्रित है।

ट) <u>मीटर</u>

1. विद्युत मीटर उपभोग की गई ऊर्जा, अधिकतम मांग तथा प्रयोज्य टैरिफ के अनुरूप अन्य वैद्युतीय पैरामीटरों का मापन करता है। इन पैरामीटरों का उपयोग डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ता के विद्युत विपत्रण तैयार करने हेतु किया जाता है। निगम के प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिष्ठापना (Installation),

पठन, मरम्मत, मीटर बदलने तथा मीटर व सहायक उपकरणों के परीक्षण के प्रयोजनार्थ मीटर तक अभिगमन (Access) का अधिकार प्राप्त है।

2. उपभोक्ता को विद्युत विपत्र के साथ सीटी / सीटीपीटी का किराया आदि का भी भुगतान करना होता है या उपभोक्ता, आयोग द्वारा राजस्थान विद्युत वितरण आयोग (मीटरिंग) विनियम, 2007 में दिये गये मानकों के अनुरूप तथा अन्य विशिष्टता के समनुरूप वाला स्वयं का मीटर / मीटर उपकरण का विकल्प दे सकता है। ऐसे सभी मीटरों / मीटर उपकरणों का परीक्षण / अंशांकन तथा सील करने का कार्य, उपभोक्ता परिसर पर अधिष्ठापन से पूर्व डिस्कॉम या मान्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ताओं को मीटर / मीटर उपकरणों की, यथार्थता हेतु डिस्कॉम को लिखित आवेदन कर तथा विहित परीक्षण शुल्क का भुगतान किये जाने पर परीक्षण करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ताओं को मीटर को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथानुमोदित प्रयोगशालाओं से परीक्षण करवाने का अधिकार भी प्राप्त है। उपभोक्ताओं को मीटर परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी अधिकार है।

4. उपभोक्ता, जिसकी परिसर में मीटर अधिष्ठापित (Install) किया गया है, का मीटर छेड़ छाड़ से मुक्त रखने का उत्तरदायित्व होगा।

ठ) खुला अभिगमन (Open Access)

विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं को विद्युत की पूर्ण या आंशिक आपूर्ति, उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किये जाने में समर्थ बनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा खुला अभिगमन उपलब्ध करवाया गया है। 1.00 एमवीए या उससे अधिक संविदा मांग तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुले अभिगमन हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004 में यथानिर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ताओं को खुला अभिगमन को चुनने का अवसर प्राप्त है।

ढ़) **<u>सूचना की आपूर्ति, प्रकाशन आदि</u>**

किसी उपभोक्ता या व्यक्ति के अवलोकन हेतु, संशोधनों यदि कोई हों, सहित निम्नलिखित प्रकाशन डिस्कॉम द्वारा इसके प्रधान कार्यालय तथा वृत्त कार्यालयों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उसके अनुरोध पर उनकी प्रतिलिपि 2/– रू. प्रति पृष्ठ या मुद्रित कीमत जमा करवाये जाने पर 7 कार्य दिवस में आपूर्ति की जायेगी।

अ) विद्युतापूर्ति हेतु टैरिफ,

आ) आपूर्ति हेतु निबन्धन एवं शर्तें,

इ) मीटरिंग विनियम एवं वितरण कोड,

ई) सुरक्षा मानक,

उ) वितरण अनुज्ञप्ति, (Distribution License)

ऊ) राविविआ के टैरिफ आदेश,

ए) कार्यदक्षता के मापदण्ड, (Standard of Performance)

ऐ) कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा सांख्यिकी,

ओ) कम्पनी के सारांशित वार्षिक लेखे,

औ) डिस्कॉम द्वारा जनहित में जारी कोई भी पुस्तिका, फोल्डर, पम्पलेट, सार्वजनिक नोटिस आदि।

अं) नये कनेक्शन दिये जोन हेतु दिशा निर्देश।

आरूप (Format)/प्रलेख (Documents), जिनसे उपभोक्ता का सीधा (प्रत्यक्ष) सम्बन्ध है यथा (अ), (आ), (ई), (ए), (ओ), (औ) तथा (अं) सहायक अभियन्ता कार्यालयों पर भी उपलब्ध करवाये जायेंगे।

ऊपर सूचीबद्ध किये गये प्रकाशनों में उनके सब–सैटों/उद्धरणों (Extracts) का डिस्कॉमों द्वारा प्रकाशन, विशेषतः जो नये कनेक्शन दिये जाने से सम्बन्धित है, शामिल होगा।

उत्तम सेवा दिये जाने के लिए आप हमारी सहायता कैसे कर सकते है?

विच्छेदन से बचने के लिए कृपया अपने भुगतान अग्रिम रूप से करें।

दुर्घटना को टालने के लिए कृपया खराब/क्षतिग्रस्त वायरिंग का नवीकरण करवायें।

शक्ति धटक (पावर फैक्टर) संधारित किये जाने तथा शक्तिघटक अधिभार से बचने के लिए कृपया उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त रेटिंग के संधारित्र (कैपेसीटर) का अधिष्ठापन करें।

जब मीटर/सहबद्ध उपकरण बन्द हो जाए या जल जाये अथवा क्षतिग्रस्त हो जाये, तो तुरन्त सूचित करें।

विद्युत मीटर संवेदनशील उपकरण है, कृपया अनाधिकृत भार से जोड़ कर इसे अतिभारित (Overload) न करें।

कृपया ऊर्जा दक्षता ब्यूरों, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित ऊर्जा दक्ष (Energy Efficient) यन्त्रों/उपकरणों, का उपयोग करें।

जब उपयोग में न आये, कृपया उपकरणों/यन्त्रों को बंद कर दें।

जब कभी डिस्कॉम के अधिकारीगण/कर्मचारीगण आपकी परिसर में आये तो कर्त्तव्य निर्वहन में उनका सहयोग करें।

डिस्कॉम आपको व्यवधान रहित आपूर्ति का प्रयास करता है तथा शट–डाउन तथा खराबियों को कम से कम करने की कोशिश करता है, परन्तु ये अपरिहार्य है, कृपया अनिवार्य शट डाऊन/खराबी की दशा में हमारा सहयोग करें।

विद्युत परिकलित (Electricity Calculator)

आपके स्वयं के विद्युत उपभोग की गणना करने के लिए उदाहरण

साधित्र	(अ) (वॉट)	(ब) साधियों की संख्या	(स) उपभोग (घण्टे / दिवस)	इकाइयां / माह अ x ब x स 30 / 1000
उद्दीप्त बल्ब	60	2	2	7
ट्यूब लाइट	40	4	7	34
टेलीविजन				
अ) रंगीन	100	1	6	18
ब) श्वेत व श्याम	60	1	6	11
फ्रिज	250	1	10	75
डेजर्ट कूलर	250	1	8	60
गीजर	1500	1	2	90
वातानुकूलक				
अ) 1 टन	1500	1	5	225
ब) 1.5 टन	2200	1	5	330
जल उपयोगिता				
पम्प				
0.25 एचपी	180	1	1	6
0.50 एचपी	360	1	1	11
टेबिल पंखा /				
छत का पंखा	60	3	12	64
निर्वातक पंखा	150	1	2	9
धुलाई मशीन	500	1	1	15
कम्प्यूटर	150	1	2	9

सुरक्षा चेतावनी :

भवनों की उर्ध्व (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) क्लीयरेन्स

भवन / दुकान स्वामी / निवासी तथा जन सामान्य ध्यान रखें :

अधिकृत वैद्युतीय मुख्यों या सम्बद्ध विद्युत अधिष्ठापनाओं (Installation) से निर्माण के दौरान या पश्चात् भवन, संरचना, प्रक्षेपण, बॉलकनी, छज्जों या चार दीवारी का विस्तार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 कहे जाने वाले विनियमों के उपाबन्ध 60 एवं 61 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

किसी अनिष्ट या धातक दुर्धटना को टालने के लिए विद्युत मुख्यों तथा वैधुतीय अधिष्ठापनाओं से न्यूनतम उर्ध्व तथा क्षैतिज क्लीयरेन्स केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार निम्नानुसार है :

क्र.स.	लाइनें / अधिष्ठापना	जहां कोई लाइन, भवन / संरचना / बॉलकनी आदि के ऊपर से गुजर रही है, तो न्यूनतम उर्ध्व क्लीयरेन्स	जहां लाइन किसी भवन / संरचना / बॉलकनी आदि के निकट से गुजर रही है, तो न्यूनतम क्षैतिज क्लीयरेन्स
1.	निम्न या मध्यम वोल्टेज लाइन तथा 650 वोल्ट तक सर्विस लाइन	उच्चतम बिन्दु से 2.5 मीटर	निकटस्थ बिन्दु से 1.2 मीटर
2.	11000 वोल्टेज सहित तथा तक की उच्च वोल्टेज लाइन	उच्चतम बिन्दु से 3.7 मीटर	निकटस्थ बिन्दु से 1.2 मीटर
3.	11000 वोल्टेज से ऊपर तथा 33000 वोल्टेज सहित व तक की उच्च वोल्टेज लाइन	उच्चतम बिन्दु से 3.7 मीटर	निकटस्थ बिन्दु से 2 मीटर

4.	33000 वोल्टेज से अधिक अतिरिक्त उच्च वोल्टेज	3.7 मीटर (+प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग के लिए 0.30 मीटर)	2 मीटर (+प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग के लिए 0.30 मीटर)

स्वामियों/कब्जेदारों को, अनाधिकृत संरचनाओं, भवनों, प्रक्षेपणों, बॅालकनियों, चार दीवारियों आदि को शीध्र हटा लिये जाने का परामर्श दिया जाता है।

टिप्पणी : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के उपरोक्त उपाबन्ध 60 एवं 61 के उल्लधंनकर्ता किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष/परोक्ष हानि (जीवन, सम्पत्ति आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराये जायेगे तथा प्रयोज्य कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

ऊर्जा बचत की युक्तियां –

सफेद छत

छतों की सफेद रंगाई करायें या वाणिज्यिक तथा आवासीय छतों पर सफेद टाईलों की अधिष्ठापना वातानुकूल की लगभग 20 प्रतिशत लागत कम कर सकती है। विशेषज्ञों का सफेद सामग्री की 1000 वर्गफुट छत से 10 मैट्रिक टन हरित गृह गैसों (Green House Gases) के प्रभाव को कम करने का दावा किया गया है।

रोशनी पद्धति

- जब काम में न आये रोशनियों तथा पंखों को बन्द कर दें।
- जहां तक सम्भव हो कृतिक रोशन (टॅास्क लाइटिंग), जो जहां जरूरत हो रोशनी केन्द्रित करती है, का उपयोग करें।
- टयूब लाइटों तथा बल्बों को नियमित रूप से साफ करें :– गन्दे बल्ब व ट्यूब लाइट अवशोषण के माध्यम से 50 प्रतिशत रोशनी की छीजत होती है।
- साधारण टयूब लाइट चोकों के स्थान पर विद्युत बचाने वाले इलेक्ट्रानिक चोकों का उपयोग/से प्रतिस्थापित करें।
- साधारण लैम्पों को ऊर्जा दक्ष सीएफएल, जो 80 प्रतिशत से कम विद्युत का उपभोग करते है, का उपयोग करें। केवल एक सीएफएल के

उपयोग से एक वर्ष में 321 रू. से 525 रू. तक की (वॅाटेज पर निर्भर) बचत की जा सकती है।

- ➢ इलेक्ट्रानिक उपकरणों को आपातोपयोगी (Stand by) अवस्था में रखने से बचें चूंकि आपका विद्युत मीटर ऐसे उपभोग को अंकित करता है।
- ➢ उपभोग में कमी हेतु आईएसआई चिन्हित तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करें।

रैफ्रिजरेटर :

- ✓ सुनिश्चित करें कि रैफ्रिजरेटर को सीधी धूप सहित किसी भी प्रकार के ताप स्त्रोत से दूर रखा गया है।
- ✓ सतत् वायु प्रवाह के लिए रैफ्रिजरेटर के आस–पास पर्याप्त स्थान छोड़े। यदि ताप से नहीं बचा जा सकता है, तो अवशीतन तंत्र (Compressor) को अधिक कार्य करना पड़ेगा, जिससे विद्युत का अधिक उपभोग होगा।
- ✓ हस्ताचालित डिफ्रास्ट रैफ्रिजरेटर के मामलें में फ्रीजर कक्ष को नियमित रूप से डिफ्रास्ट करें।
- ✓ अपने रैफ्रिजरेटर के दरवाजे को लम्बे समय के लिए खुला न रखें।
- ✓ दरवाजे के गास्केट की स्थिति की निश्चित समयावधि में जांच करें।

कम्प्यूटर –

- ❖ जब उपयोग में न आये कम्प्यूटर को बन्द कर दें।
- ❖ मॅानिटर, उपभोगित ऊर्जा के आधे से अधिक भाग का उपयोग करता है। यदि आपको कम्प्यूटर को चालू छोड़ना पड़े तब भी मॅानीटर को बन्द कर दें।
- ❖ स्क्रीन सेवर ऊर्जा नहीं बचाते हैं। प्रारम्भ करने और बन्द करने मे न तो अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग होता है और न ही वे संधटकों को हानि पहुंचाते है, इसलिए उपयोग में न आने पर कम्प्यूटर को बन्द करना वास्तविक रूप से तन्त्र की टूट– फूट को कम करता है तथा ऊर्जा भी बचाता है।

सुरक्षा पहले – करें तथा न करें

इन करने तथा न करने का पालन करें तथा मित्रों, परिवार व स्वयं को सुरक्षित रखने में सहायता करें

करें

	विद्युत सम्बन्धी सभी कार्य, विद्युतापूर्ति बन्द करने के बाद ही सम्पादित करें।
	वैद्युतीय आग लगने की दशा में तुरन्त विद्युतापूर्ति बन्द कर दें तथा इसे बुझाने के लिए बजरी, कार्बन डाई ऑक्साइड, बुझाने के सूखे पाउडर का उपयोग करें। पानी का उपयोग न करें।
	सभी विद्युत उपकरणों हेतु प्रभावी अर्थिंग लगाये तथ विद्युत झटकों को रोकने हेतु अर्थ लीकेज सर्किट की अधिष्ठापना करें।
	जहां इन्सूलेशन खराब हो गया है, पुराने तथा क्षतिग्रस्त वायरिंग को तुरन्त प्रतिस्थापित करना चाहिए।
	सभी विद्युत उपकरणों हेतु समुचित रूप से अर्थ किये गये तीन पिन प्लगों का उपयोग करें।
	विद्युत उपकरणों को नाम तथा ताप सतह एवं ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।
	मन्द या टिमटिमाती रोशनी, चिंगारी तथा विद्युत उपकरणों से गूंजती आवाज की दशा मे ं योग्य इलैक्ट्रीशियन से सम्पर्क करें।
	उपरी विद्युत लाइनों तथा केबिलों से दूर रहें तथा टूटे तारों को न छूयें।
	वायरिंग में जोड़ों को टालें / सभी आवश्यक जोड़ों पर उचित टेप / रोधन (Insulation) होना चाहिए।

न करें

	उस स्थान के समीप न जायें, जहां ''खतरा/चेतावनी पट्ट लगा हुआ है''
	उस पेड़ पर न चढें जिसके ऊपर होकर या पास से विद्युत लाइन जा रही है।
	जनोपयोगी सेवाओं के खम्भों पर कभी न चढ़ें या सब–स्टेशन के आसपास की धेराबन्दी के समीप न खेलें।
	गीले हाथों से स्विचों/प्लगों को न छूयें।
	उच्च वोल्टेज वैद्युतीय तारों के समीप पतंग न उड़ाये।
	टूटी हुई विद्युतीय फिटिंगों का उपयोग न करें, उन्हे तुरन्त बदल दें।
	गीले वस्त्रों को टांगने के लिए विद्युत केबिलों के समीप धातु के तारों का उपयोग न करें।
	बिजली गिरने के दौरान वैद्युतीय साधित्र का उपयोग या फोन पर वार्ता न करें ।
	मेल खाती हुयी प्लग पिन के बिना प्लग साकिट में सीधा तार न लगायें।
	नंगे तार अर्थात् रोधन रहित को न छूयें। इसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है।
	न्यूट्रल सर्किट पर फ्यूज न लगायें।

अनुलग्नक – अ

विभिन्न गतिविधियों / कार्यदक्षता के मापदण्ड में वर्णित शिकायतों के निवारण हेतु अधिकतम समय सीमा दर्शाते हुये विवरण पत्र

क्र.स.	गतिविधि का नाम / शिकायत का प्रकार	विहित अधिकतम अवधि
1	उपभोक्ता परिसर पर या वितरण ट्रान्सफार्मर का एचटी / एलटी फ्यूज उड़ जाने / एमसीबी परेशानी या ढीले कनेक्शन / मीटर, एमसीबी या सर्विस लाइन पर विच्छेदन (लाइन की खराबी या वितरण तथा / या विद्युत ट्रान्सफार्मर की विफलता के कारण नहीं) सहित किसी कारण से वोल्टेज न होने / विद्युतापूर्ति में व्यवधान की शिकायतें। (8.00 बजे प्रातः से 10. 00 बजे रात्रि तक प्राप्त शिकायतें)	औद्योगिक, नगर पालिका, एवं सेना / छावनी तथा ज.स्वा. अभि. विभाग की अधिष्ठापनाओं में 4 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे
2	रात्रि समय (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे) के दौरान प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतें उपाबन्ध–4 (1)	औद्योगिक, नगर पालिका एवं छावनी क्षेत्रों तथा सेना / ज. स्वा. अभि. विभाग की अधिष्ठापनाओं में अगले दिवस के 4 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में अगले दिवस
3	नैत्यक (Routine) लाइन खराबी उपाबन्ध 4 (iii)	औद्योगिक, नगरपालिका एवं छावनी क्षेत्रों तथा सेना / जन.स्वा. अभि. वि. अधिष्ठापनाओं में 8 धण्टे में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 धण्टे में

4	वितरण ट्रान्सफार्मरों की विफलता उपाबन्ध 4 (iv)	औद्योगिक, नगरपालिका एवं छावनी क्षेत्रों तथा सेना/जन.स्वा. अभि. वि. अधिष्ठापनाओं में ट्रान्सफार्मर का प्रतिस्थापन तथा आपूर्ति पुनः 2 दिवस में चालू करना। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवस
5	विद्युत ट्रान्सफार्मर/सहबद्ध स्विच गीयर की विफलता उपाबन्ध 4 (iv)	7 दिवस, तकनीकी रूप से साध्य होने पर विद्युतापूर्ति 2 दिवस में पुनः चालू करना
6	विद्युतापूर्ति की गुणवत्ता (क) न्यूट्रल वोल्टेज, आपूर्ति वोल्टेज के 2 प्रतिशत हो जाने के कारण खराब गुणवत्ता (ख) निम्न या उच्च वोल्टेज, अर्थात् फेज वोल्टेज भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सहिष्णुता (Tolerance) से अधिक होना (ग) वोल्टेज उतार–चढ़ाव या झटका मारना (घ) उच्च स्त्रवण (Leakage) करण्ट (ङ) व्यष्टिक (Individual) हार्मोनिक के साथ 1 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति वोल्टेज (च) पथ प्रकाश बन्द है या समुचित रूप से परिचालन में नही है। (छ) अपर्याप्त वैद्युतीय क्लीयरेन्स उपाबन्ध 5	7 दिवस में सुधार किया जाना या यदि अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर है तो उपभोक्ता को सूचित करना। सामग्री की उपलब्धता तथा तकनीकी आर्थिक साध्यता के अध्यधीन वितरण तन्त्र की अपर्याप्तता का समाधान 180 दिवस में किया जाना है।

7	अनुसूचित विद्युत बन्दी (शट डाउन) उपाबन्ध–6	किसी भी दिन–दिन के समय के दौरान 10 धण्टे से अधिक नहीं।
8	मीटर वृहद/मध्यम औद्योगिक शक्ति, औद्योगिक तथा अधरेलू उपभोक्ता का नियमित निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण उपाबन्ध 9 (i) (अ)	छः माह में एक बार
9	अन्य उपभोक्ताओं का नियमित निरीक्षण, जांच तथा परीक्षण उपाबन्ध 9 (i) (अ)	तीन वर्ष में एक बार
10	दोषपूर्ण मीटर को बदलना उपभोक्ता के अनुरोध पर	60 दिवस 15 दिवस
11	विपत्रण (Billing) शिकायत गलत विपत्रण/गलत टैरिफ/विपत्र प्राप्त न होने/अपर्याप्त समय की शिकायतें उपाबन्ध 11 (i)	यदि व्यक्तिशः या दूरभाष पर सूचित किया गया है – तुरन्त यदि शिकायत डाक से प्राप्त हुयी है – 7 कार्य दिवस
12	गणितीय त्रुटि या प्राप्त न होने या भुगतान हेतु अपर्याप्त समय की शिकायतें उपाबन्ध ध 11 (ii)	यदि शिकायत व्यक्तिशः की गई है – उसी दिन यदि शिकायत डाक से भेजी गई – प्राप्त होने वाले दिन है।
13	विपत्र सम्बन्धी अन्य शिकायत उपाबन्ध 11 (ii)	7 दिवस

14	अन्य शिकायतें (आवर्ती (recurring) प्रकृति की सहित) उपाबन्ध (13)	जांच पड़ताल 30 दिवस में उसके बाद सुधार 60 दिवस में
15	कनेक्शन दिया जाना नये कनेक्शन – धरेलू/अधरेलू मांग पत्र जारी करना कनेक्शन दिया जाना उपाबन्ध 10	आवेदन प्राप्त होने के 21 दिवस में शहरी क्षेत्रों में – मांग पत्र जमा कराने तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण करने के 30 दिवस में ग्रामीण क्षेत्रों में – मांग पत्र जमा कराने तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण करने के 45 दिवस में
16	नये औद्योगिक कनेक्शन 60 एचपी भार तक मांग पत्र जारी करना कनेक्शन दिया जाना	आवेदन प्राप्त होने के 21 दिवस में यदि कोई संवर्द्धन (Augmentation) आवश्यक नहीं है तो मांग पत्र की अनुपालना/अन्य औपचारिकता पूर्ण किये जाने के 30 दिवस में, अन्यथा 45 दिवस में
	<u>60 एचपी से अधिक तथा 300 किवा भार तक</u> मांग पत्र जारी करना कनेक्शन जारी करना <u>300 किवा से अधिक तथा 3000 किवा भार तक</u> साध्यता क्लीयरेन्स जारी करना मांग पत्र जारी करना कनेक्शन दिया जाना	आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस में मांग पत्र की अनुपालना किये जाने के 60 दिवस में आवेदन प्राप्त होने के 45 दिवस में आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस में भावी उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र की अनुपालना/औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के बाद 75 दिवस में

	3000 किवा से अधिक तथा 33 केवी आपूर्ति तक साध्यता क्लीयरेंस जारी करना मांग पत्र जारी करना कनेक्शन दिया जाना	आवेदन प्राप्त होने के 45 दिवस में आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस में आवेदन प्राप्त होने के 120 दिवस में भावी उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र की अनुपालना/औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के बाद 90 दिवस में
	132 केवी तथा उच्चतर वोल्टेज आपूर्ति साध्यता क्लीयरेंस जारी करना मांग पत्र जारी करना कनेक्शन दिया जाना उपाबन्ध 10	आवेदन प्राप्त होने के 45 दिवस में आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस में आवेदन प्राप्त होने के 120 दिवस में भावी उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र की अनुपालना/औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के बाद 180 दिवस में
	नया कृषि कनेक्शन दिया जाना**	मांग पत्र की राशि प्राप्त होने या मांग पत्र की नियत तिथि, जो भी परवर्ती है।

** वितरण तन्त्र के विद्यमान होने तथा कनेक्शन के तकनीकी रूप से साध्य होने के अध्यधीन।

1. आवेदन शुल्क

(1) <u>एलटी आपूर्ति हेतु</u>

(अ) कृषि कनेक्शन

i	सामान्य श्रेणी	75/– रू.
ii	विशेष श्रेणी	250/– रू.

(ब) अन्य

i	एलटी एक फेज	200/– रू.
ii	एलटी– तीन फेज	500/– रू.

2. <u>एचटी आपूर्ति हेतु</u>

i	11 केवी	1000/– रू.
ii	33 केवी	2000/– रू.
iii	132 केवी	4000/– रू.
iv	220 केवी	4000/– रू.

2. विद्युत लाइन/संयन्त्र उपलब्ध करवाने तथा वितरण मुख्यों तथा/या सर्विस लाइन के विस्तार हेतु व्यय

अ) आवेदन के साथ जमा कराई जाने वाली राशि

(1) एलटी आपूर्ति हेतु

क्र.स.	उपभोक्ता की श्रेणी	जमा कराई जाने वाली राशि (रू.)	
1.	घरेलू	जनजाति उपयोजना	750/– रू.
		ग्रामीण	1500/– रू. आबादी क्षेत्र
		कच्ची बस्ती	2000/– रू.
		शहरी	3000/– रू.
2.	अघरेलू	<u>ग्रामीण</u>	
		1 किवा तक भार	2000/– रू.
		1 किवा से 5 किवा	3000/– रू
		5 किवा से 10 किवा	5000/– रू

		10 कि.वा. से ऊपर	10 कि.वा. से अधिक प्रत्येक किवा या उसके भाग के लिए 250 रू. की अतिरिक्त राशि
		<u>शहरी</u>	
		1 कि.वा. तक भार	3000 / – रू.
		1 कि.वा. से 5 किवा	4000 / – रू
		5 कि.वा. से 10 किवा	6000 / – रू
		10 कि.वा. से ऊपर	10 कि.वा. से अधिक प्रत्येक कि.वा.या उसके भाग के लिए 250 रू. की अतिरिक्त राशि
3	सार्वजनिक पथ प्रकाश	50 मीटर के सामान्य विस्तार के साथ 5000 / – रू. प्रतिखम्भे की दर से	
4.	कृषि	राज्य सरकार की कृषि नीति के अनुसार	
5.	लघु उधोग, मध्यम उधोग एवं मिश्रित भार	1 कि.वा. भार तक	3000 / – रू.
		1 कि.वा. से 5 कि.वा.	4000 / – रू
		5 कि.वा. से 10 कि.वा.	6000 / – रू
		10 कि.वा. से ऊपर	10 कि.वा. से अधिक प्रत्येक किवा या उसके भाग के लिए 250 रू. की अतिरिक्त राशि

नोट :– 1. उपरोक्त के अतिरिक्त, विद्युत तंत्र के विस्तार का व्यय, विद्युत उपभेग व विद्युत मीटर के प्रति सुरक्षा राशि, मीटर बॉक्स की कीमत आदि विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन–2004 (संशोधित) के अनुसार आवेदक द्वारा देय होंगी।

2. शुल्क की यह अनुसूची राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार समय– समय पर संशोधित की जा सकती है।

संबंधित अधिकारियों की सूची मय दूरभाष नम्बर

जोधपुर नगर वृत्त

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (ए जोन)	9413359106	39106	0291.2517887
2	अधिशाषीअभियंता (बी जोन)	9413359107	39107	0291.2651296
3	अधिशाषीअभियंता (सी जोन)	9413359108	39108	0291.2556236

जोधपुरजिलावृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (जिला खंड)	9413359208	39208	0291.2517897
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), बिलाडा	9413359210	39210	02930.222052
3	अधिशाषीअभियंता (पवस), मथानियां	9413359209	39209	02926.222858
4	अधिशाषीअभियंता (पवस), फलोदी	9413359211	39211	02925.223646

पालीवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), पाली	9413359302	39302	02932.281401
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), सोजत	9413359303	39303	02960.222088
3	अधिशाषीअभियंता (पवस), फालना	9413359304	39304	02938.233053

सिरोहीवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), सिरोही	9413359305	39305	02972.222337

2	अधिशाषीअभियंता (पवस), आबूरोड	9413359306	39306	02974.222995
3	अधिशाषीअभियंता (पवस), रेवदर	9413359337	39337	02975.282250

जालोरवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), जालोर	9413359485	39485	02973.222263
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), सांचौर	9413359487	39487	02979.224359
3	अधिशाषीअभियंता (पवस), भीनमाल	9413359486	39486	02969.220091

बाडमेरवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), बाडमेर	9413359396	39396	02982.220374
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), बालोतरा	9413359395	39395	02988.240378
3	अधिशाषी अभियंता(पवस), गुडामालानी	9413359394	39394	.

जैसलमेरवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), जैसलमेर	9413359397	39397	02992.252132
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), पोकरण	9413359456	39456	02994.223166

बीकानेर वृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (नगर– I), बीकानेर	9413359543	39543	0151.2226210
2	अधिशाषीअभियंता (नगर– I I), बीकानेर	9413359551	39551	0151.2231551
3	अधिशाषीअभियंता (जिला खंड– I), बीकानेर	9413359544	39544	0151.2226212
4	अधिशाषीअभियंता (जिला खंड– I I), बीकानेर	9413359545	39545	0151.2236214

श्रीगंगानगरवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (नगर खंड), श्रीगंगानगर	9413359746	39746	0154.2442093
2	अधिशाषीअभियंता (जिला खंड), श्रीगंगानगर	9413359692	39692	0154.2442058
3	अधिशाषीअभियंता (पवस), रायसिंहनगर	9413359695	39695	01507.220158
4	अधिशाषीअभियंता (पवस), सूरतगढ	9413359693	39693	01509.220297
5	अधिशाषीअभियंता (पवस), अनुपगढ	9413359694	39694	01498.223529

हनुमानगढ़वृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), हनुमानगढ़	9413359633	39633	01552.260528
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), नोहर	9413359635	39635	01555.221083

3	अधिशाषीअभियंता (पवस), सांगरिया	9413359636	39636	01499.221146

चूरूवृत

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (पवस), चूरू	9413359750	39750	01562.251417
2	अधिशाषीअभियंता (पवस), रतनगढ	9413359753	39753	01567.222058
3	अधिशाषीअभियंता (पवस), सुजानगढ़	9413359752	39752	01568.222601

सतर्कता शाखा

क्र.स.	पद नाम	मोबाईल नं.	सीयूजी नं.	दूरभाष नम्बर
1	अधिशाषीअभियंता (नगर खंड), जोधपुर	9413359112	39112	0291.2517897
2	अधिशाषीअभियंता (जिला खंड), जोधपुर	9413359213	39213	0291.2517894
3	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), जालोर	9413359488	39488	02973.226467
4	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), पाली	9413359308	39308	02932.281270
5	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), सिरोही	9413359940	39940	.
6	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), बाडमेर	9413359398	39398	02982.220374
7	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), बीकानेर	9413359547	39547	0151.2222627
8	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), हनुमानगढ़	9413359637	39637	01552.261177

9	अधिशाषी अभियंता (सतर्कता), श्रीगंगानगर	9413359692	39692	0154.2443236
10	अधिशाषीअभियंता (सतर्कता), चूरू	9413359754	39754	01562.250428
11	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), नगर खंड, जोधपुर	9413359202	39202	0291.2512610
12	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), जिला खंड, जोधपुर	9413359271	39271	0291.2517021
13	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), जालोर	9413359203	39203	02973.226465
14	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), पाली	9413359461	39461	02932.281400
15	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), सिरोही	9413359895	39895	02972.224329
16	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), बाडमेर	9413359465	39465	02982.225691
17	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), जैसलमेर	9413382692	32692	02992.203152
18	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), बीकानेर	9413359467	39467	0151.2226277
19	थानाधिकारी (एपीटीपीएस),. हनुमानगढ	9413359469	39469	01552.260159
20	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), श्रीगंगानगर	9413359700	39700	0154.2485236
21	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), चूरू	9413359468	39468	01562.252027
22	थानाधिकारी (एपीटीपीएस), ग्रामीण बीकानेर	9413870373	.	.